न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2018
दर्ज दिनांक – 11/01/2018
निर्णय दिनांक – 14/03/2018

अनवान

1. भंवर सिंह पिता जय सिंह राजपुत निवासी तुर्कियाखेडा, तहसील रेलमगरा

अपीलाण्ट

बनाम

1. शम्भू सिंह पिता जय सिंह राजपुत निवासी तुर्कियाखेडा, तहसील रेलमगरा
2. ग्राम पंचायत बनेडिया, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बनेडिया तहसील रेलमगरा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत बनेडिया द्वारा दिनांक 05.07.2003 से नामान्तरकरण संख्या 199

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत बनेडिया द्वारा दिनांक 05.07.2003 से नामान्तरकरण संख्या 199 के प्रस्तुत की गयी कि ग्राम तुर्किया खेडा पटवार हल्का बनेडिया तहसील रेलमगरा में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम पर भूमियां स्थित है जिसके खाता संख्या नया 140 व पुराना 82 जिसके आराजी संख्या 422 है। अपील की कलम संख्या एक में वर्णित भूमियों को अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 04.06.2003 को यशोदा देवी पत्नि किशन ब्राहमण निवासी बनेडिया से बिल एवज 59000/– रूपये जरिये विक्रय पत्र के क्रय की गई जिसमें भंवर सिंह अपीलाण्ट ने आराजी संख्या 422 रकबा 118 बिस्वा भूमियों में से अपीलाण्ट ने 81/118 हिस्सा तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने 37/118 हिस्सा क्रय किया गया तथा क्रय की दिनांक से अपीलाण्ट तथा रेसपोडेण्ट उक्त हिस्से अनुसार काबिज होकर शान्तिपूर्ण रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये इन्द्राज नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट दोनों के नाम समान हिस्सा रख कर फैसल करने में गंभीर भुल की है। नामान्तरकरण संख्या 199 फैसल करने में ग्राम पंचायत बनेडिया द्वारा बिना जांच किये एवं बिना विक्रय पत्र निरीक्षण किये ही फैसल कर दिया गया जिससे अपीलाण्ट अपने वैद्य अधिकारों से वंचित हो गया। उक्त नामान्तरकरण गलत रूप से निर्णित हो जाने से जमाबन्दी में भी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट का समान हिस्सा दर्शा रखा है जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 199 को निरस्त खारिज फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। अपीलाण्ड ने दिनांक 28.12.2017 को उक्त भूमियों की जमाबन्दी की नकल निकलवायी तब ज्ञात हुआ कि अपील की कलम संख्या 1 मे वर्णित भूमियों में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का समानर हिस्सा दर्ज है जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उसी रोज नामान्तरकरण

ख्या 199 की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 01.01.2018 को प्राप्त हुई । नकल प्राप्त करते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है फिर भी विकल्प में धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ संलग्न है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत बनेडिया द्वारा त्रुटीपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 199 को खारिज फरमाया जाने का आदेश फरमावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन से जाहिर आया कि पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार नामान्तरकरण प्रमाणित नही किया गया है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बनेडिया द्वारा ग्राम तुर्किया खेडा के नामान्तरकरण संख्या 199 निर्णय दिनांक 05.07.2003 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विक्रय पत्र अनुसार नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा